न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–113 / 2026
तरियानी थाना कांड संख्या–31 / 2026.
सरकार बनाम् शंकर राय व अन्य
अंतर्गत धारा–326(g), 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000732-2026

01. शंकर राय पिता–सीता राय, उम्र करीब–39 वर्ष,
02. हरिवंश राय पिता–सीता राय, उम्र करीब–76 वर्ष,
03. राधे राय पिता–सीता राय, उम्र करीब–47 वर्ष
सभी निवासी ग्राम–राजाडीह, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता –श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह।
सूचक के विद्वान अधिवक्ता –श्री अमलेश कुमार।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
15.05.2026

दिनांक–15.05.2026 **आदेश**

आवेदक अभियुक्तगण–01. शंकर राय, 02. हरिवंश राय एवं 03. राधे राय, जिनका मामला तरियानी थाना कांड संख्या–31 / 2026, अंतर्गत धारा–**326(g), 3(5) of BNS.** के लिए दर्ज किया गया है, में उनके द्वारा उक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की प्रत्याशा में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिनको उनके सम्बद्ध विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा संचालित किया गया, जिस पर उनको एवं सूचक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अमलेश कुमार तथा अभियोजन की ओर से प्रभारी विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है, जिसमें सूचक ने तरियानी थाना पर दिये गये अपने लिखित आवेदन में लिखा है कि–मैं मनोज कुमार, पिता–शिवबालक राय, निवासी ग्राम–राजाडीह, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर का रहने वाला हूँ। दिनांक–21.01.2026 को रात्री करीब नौ बजे मैं अपने आवासीय घर में सोया हुआ था, उसी समय घर के बाहर फूस–फूसाहट की आवाज सुनाई पड़ा तो देखा की 01. रामजी कुमार, पिता–राधे राय, 02. राधे राय (आवेदक अभियुक्त), पिता–सीता राय, 03. हरिवंश राय (आवेदक अभियुक्त), पिता–सीता राय, 04. शंकर राय (आवेदक अभियुक्त),, पिता–सीता राय, 05. मूर्ति देवी, पति–सीता राय, सभी निवासी ग्राम–राजाडीह, थाना–तरियानी, जिला–शिवहर मेरे आवासीय फूस का घर, जिसमें मैं सोया था, के उपर किरासन तेल छीड़क रहे थे तथा रामजी कुमार अपने हाथ में लिए माचिस से मेरे उक्त आवासीय घर में आग लगा दिया तथा बोले की इसी में मनोज कुमार जलकर मर जाएगा। मेरा घर आग लगने से जलने लगा। मैं जोर–जोर से चिल्लाने लगा, तो वे लोग भाग गए। उनलोगों के आग लगाने से मेरा घर, बिछावन, घरेलू सामान, पूजा की मूर्ति एवं उस घर में रखे डेक्स, बेंच सब जल गया। मैं घटना के दिन ही केस करने जा रहे थे तो गॉव–समाज के लोग बोले की पंचायती से हल निकाला जाएगा, लेकिन पंचायत बैठाया गया तो वे लोग पंच के बात मानने को तैयार नहीं हुए, तब आज विलम्ब से यह आवेदन दे रहा हूँ। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण को ग्रामीण गंदी राजनीति के कारण फंसाया गया है। आवेदकगण पर लगाया गया आरोप गलत है। वास्तविकता है कि आवेदकगण का घर खेसरा नं0–1775 में है, जो उनके पूर्वज के नाम का है तथा उसी जमीन के बगल में खाता सं0–308, खेसरा सं0–1762, रकवा–2 डी0 जमीन है, जो बिहार सरकार है, जिस पर आवेदकगण का उनके पूर्वज के समय से ही दखल–कब्जा है तथा सूचक जबरन उस जमीन को दखल–कब्जा करके

लगातार / –

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–113/2026
तरियानी थाना कांड संख्या–31/2026.
सरकार बनाम् शंकर राय व अन्य
अंतर्गत धारा–326(g), 3(5) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRSO01000732-2026

दिनांक–15.05.2026

घर बनाना चाह रहा है तथा आवेदकगण के मना करने पर अपराधिक दबाव बनाने के लिए बगल के खाली जमीन, जो कृष्णनंदन राय का है, में एक झोपड़ी, जो टूट कर गिर गया था में आग लगाने की बात करके सोची–समझी साजिश के तहत गलत केस दर्ज कराया गया है। आवेदकगण पर आग लगाने का विशिष्ट आरोप नहीं है तथा जिस झोपड़ी को सूचक जलने की बात बताया है, वह आवासीय घर नहीं है तथा 14 दिन विलम्ब से केस दर्ज कराया गया तथा सूचक के द्वारा पंचायत की बात जो कही गई है, वह बिल्कुल गलत है। आवेदकगण सक्षम जमानत बंध पत्र देने को तैयार है तथा उनके पलायन की कोई संभावना नही है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

प्रभारी विद्वान लोक अभियोजक एवं सूचक के विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण के अग्रिम जमानत का विरोध करते हैं। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि आवेदकगण पर विशिष्ट रूप से सूचक के घर पर किरासन तेल छिड़कने का आरोप है एवं उनका पूर्व से भी अपराधिक इतिहास रहा है।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण–01. शंकर राय, 02. हरिवंश राय एवं 03. राधे राय, जो प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, पर प्राथमिकी के नामित अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के फूस के आवासीय घर, जिसमें सूचक सोये हुए थे, पर किरासन तेल छिड़कने का विशिष्ट आरोप एवं आग लगाने में सहयोग करने का आरोप है। वाद दैनिकी की कंडिका–04. पर वादी का पुनःबयान है, जिसमें उसने प्राथमिकी में वर्णित घटना का पूर्ण समर्थन किया है। वाद दैनिकी कंडिका–05. पर साक्षी ने आवेदकगण को अपना पट्टीदार बताते हुए, जमीनी विवाद को लेकर आग लगाने की बात कहा है। कंडिका–17. पर साक्षी ने सूचक के घर में आग लगा हुआ होने और वहॉ से आवेदकगण सहित प्राथमिकी के नामित एक अन्य सहअभियुक्त को घटनास्थल से भागते हुए देखने की बात कहा है। इस साक्षी ने दोनों पक्षों के बीच पूर्व से जमीनी विवाद चलने की भी बात कहते हुए आवेदक अभियुक्त–राधे राय एवं उनके परिवार के लोग के द्वारा पहले से ही आग लगाकर घर जला देने की धमकी देते रहने की बात कहा है। कंडिका–18. में भी साक्षी ने तीनों आवेदकगण सहित प्राथमिकी के नामित एक अन्य सहअभियुक्त को सूचक के घर के पास खड़ा होने, मनोज कुमार (सूचक) के घर आग लगा होने एवं आवेदक अभियुक्तों सहित एक अन्य सहअभियुक्त को वहॉ से भागते हुए देखने की बात कहते हुए दोनों पक्षों के बीच पुराना जमीनी विवाद होने एवं आवेदक अभियुक्त–राधे राय एवं उनके परिवार वालों के द्वारा हमेशा सूचक और उसके परिवार वालों को घर में आग लगा देने की धमकी देने की बात कहा है। वाद दैनिकी की कंडिका–22. में उपरोक्त तीनों आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व थाना अभिलेख में इस कांड के अलावे पूर्व से एक मामला–01. तरियानी थाना कांड संख्या–57/06, दिनांक–02.04.2006, धारा–341, 323, 307, 504/34 भा0द0वि0 दर्ज होने तथा तीनों आवेदक अभियुक्तों के विरूद्व उक्त वाद में आरोप–पत्र संख्या–86/06, दिनांक–31.05.2006 को समर्पित किये जाने का तथ्य अंकित है, जबकि आवेदकगण के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका–03. में यह तथ्य अंकित किया गया है कि–"आवेदकगण का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है।" जिससे विदित होता है कि आवेदकगण के द्वारा उनके विरूद्व पूर्व से दायर मामले के संबंध में न्यायालय से सत्यता को छिपाने का कुत्सित प्रयास किया गया है। अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए तीनों आवेदकगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव आवेदक अभियुक्तगण–01. शंकर राय, 02. हरिवंश राय एवं 03. राधे राय की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0/–
प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
15.05.2026